

## उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह

### अधिसूचना

सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादन (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को गिरिडीह जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मुख्य सचिव आरखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक झापांक 156 दिनांक 06/07/2017 में लिए गए निर्णय के अलाोक में उपायुक्त-सह-अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC) का गठन इस कार्यालय के पत्रांक 01/NTCCP गिरिडीह दिनांक 08/03/2018 द्वारा किया जाता है। निम्न पदाधिकारियों को जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. उपायुक्त-सह-अध्यक्षता, जिला स्वास्थ्य समिति, गिरिडीह           | -अध्यक्ष                |
| 2. पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह   | -सदस्य                  |
| 3. असेनिक राज्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह      | -सदस्य सचिव             |
| 4. अपरसमाहर्ता-सह-विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण गिरिडीह   | -सदस्य सह मुख्य समन्वयक |
| 5. उप विकास आयुक्त, गिरिडीह                                       | -सदस्य                  |
| 6. जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम गिरिडीह         | -सदस्य                  |
| 7. उपाधीक्षक सडर अस्पताल गिरिडीह                                  | -सदस्य                  |
| 8. अपरमुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह                            | -सदस्य                  |
| 9. जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह                                  | -सदस्य                  |
| 10. जिला जन संपर्क पदाधिकारी गिरिडीह                              | -सदस्य                  |
| 11. जिला जन सुचना पदाधिकारी गिरिडीह                               | -सदस्य                  |
| 12. जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिडीह                                 | -सदस्य                  |
| 13. जिला कृषि पदाधिकारी गिरिडीह                                   | -सदस्य                  |
| 14. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गिरिडीह                          | -सदस्य                  |
| 15. औषधि निरीक्षक गिरिडीह   | -सदस्य                  |
| 16. अध्यक्ष आई० एम० ए० गिरिडीह                                    | -सदस्य                  |
| 17. सचिव भारतीय रेड क्रॉस समिति गिरिडीह                           | -सदस्य                  |
| 18. सचिव शेदरी कलय गिरिडीह  | -सदस्य                  |
| 19. जिला युवा समन्वयक नहरू युवा केंद्र अलकापुरी मोहनपुर गिरिडीह   | -सदस्य                  |
| 20. प्राचार्य गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह / आर० के० महिला कॉलेज गिरिडीह | -सदस्य                  |

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है:-

- COTPA-2003 को पुरे गिरिडीह जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मूल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से कियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- गिरिडीह जिले/प्रखण्डों की अनुश्रवण रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अन्तराल पर आयोजित किया जाना है
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपन कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामले में फंसला लिया गया है।
- तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के विषिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।



- DTCCC की त्रैमासिक मनोनीत सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना।
- तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष @Surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाई सुनिश्चित करना।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह

आपंक-01/NTCP

गिरिडीह, दिनांक-08-03-2018

प्रतिलिपि :- सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य नोडल पदाधिकारी एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह





## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह

### आदेश


सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) के प्रभावकारी अनुपालन के लिए अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था), गिरिडीह तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम का प्रभावकारी अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गिरिडीह जिले का धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह

ज्ञापक 02/NTCP / गिरिडीह

दिनांक 08.03.2018

- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव स्वास्थ्य वि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी राज्य परामर्शी NTCP, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग / पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, गिरिडीह / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, गिरिडीह / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गिरिडीह / अधीक्षक, सदर अस्पताल गिरिडीह / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गिरिडीह / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह / जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गिरिडीह / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह / सभी सी०डी०पी०ओ, गिरिडीह / श्रम अधीक्षक, गिरिडीह / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यलाय), गिरिडीह / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, गिरिडीह / असेनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह





## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रुपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ते में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था)-सह-विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण गिरिडीह | - अध्यक्ष |
| 2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय)   | - सदस्य   |
| 3. जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिडीह   | - सदस्य   |
| 4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह   | - सदस्य   |
| 5. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गिरिडीह  | - सदस्य   |
| 6. औषधि निरीक्षक गिरिडीह   | - सदस्य   |
| 7. जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह   | - सदस्य   |
| 8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति)                                 | - सदस्य   |
| 9. श्रम अधीक्षक, गिरिडीह   | - सदस्य   |
| 10. जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम गिरिडीह                       | - समन्वयक |

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में एक कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

*7/3/18*  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह

ज्ञापक 03/NTCP/ गिरिडीह

दिनांक 08.03.2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी राज्य परामर्शी NTCP, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था)-सह-विशेष नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण गिरिडीह/आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय), गिरिडीह/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, गिरिडीह/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह/ जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिडीह/ जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गिरिडीह/ औषधि निरीक्षक गिरिडीह/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गिरिडीह/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह/श्रम अधीक्षक, गिरिडीह/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, गिरिडीह/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकार, गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

*7/3/18*  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह





## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/ जुर्माना (रूपये 200/-तक) की कार्यावाही सुनिश्चित करेंगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. अनुमंडल पदाधिकारी                            | - | अध्यक्ष |
| 2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी                      | - | सदस्य   |
| 3. कार्यापालक दण्डाधिकारी                       | - | सदस्य   |
| 4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी                     | - | सदस्य   |
| 5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय | - | सदस्य   |
| 6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी                     | - | सदस्य   |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष                           | - | सदस्य   |

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ता के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन आधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इस काम में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ले सकेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह

ज्ञापांक 04/NTCP/गिरिडीह,

दिनांक 08.03.2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी राज्य परामर्शी NTCP, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, ~~हुजरा~~ पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 गिरिडीह/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह






## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखण्ड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघकर्ता पर नियमानुसार चालान/ जुर्माना (रूपये 200/-तक) की कार्यावाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी              | - | अध्यक्ष       |
| 2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी           | - | समन्वयक सदस्य |
| 3. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी      | - | सदस्य         |
| 4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी                | - | सदस्य         |
| 5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,             | - | सदस्य         |
| 6. प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) | - | सदस्य         |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष                   | - | सदस्य         |

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन आधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह

ज्ञापांक.05/NTCP/ गिरिडीह

दिनांक 08.03.2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी राज्य परामर्शी NTCP, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकार, गिरिडीह/ सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह / सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, गिरिडीह / जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०/डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह






## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह आदेश


सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करेंगे। लोक स्थान (Public Place)से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहाँ जनता की पहुँच हो, चाहे साधिकार हो या न हो और इसके अन्तर्गत – लोक वाहन, बस स्टैंड, रेल प्रतीक्षालय, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतीक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान्न भंडार, ढाबा, सभी सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय, बैंक परिसर, बैंक के ATM, सभी सरकारी / गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी / गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र / अस्पताल भवन, सिनेमा हॉल, होटल/रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं ऐसे सभी स्थान जहाँ आम जनता का आना-जाना होता है पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA-2003) की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्ता को रुपये 200/- तक जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रापराईटर, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी अपने स्तर से सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर, यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वार हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार पर और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान (स्थानों) पर नीचे दर्शाये गये बोर्ड के प्रारूप के अनुसार बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।



चालान के द्वारा अधिकतम 200/- ₹0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) तहत उल्लंघन करने वाले को 200/-₹0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह





## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह

ज्ञापक 06/NTCP/ गिरिडीह

दिनांक 08.03.2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी NTCP, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, गिरिडीह/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, गिरिडीह/ सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गिरिडीह / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गिरिडीह/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह/सभी प्रखंड विकास पदाधिकार, गिरिडीह/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह/ सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गिरिडीह/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह/ सभी सी0डी0पी0ओ, गिरिडीह /श्रम अधीक्षक, गिरिडीह /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यलाय), गिरिडीह / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, गिरिडीह/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकार, गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना और समाहरणालय परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 'इस आशय का बोर्ड/होर्डिंग लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह





## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह आदेश

गिरिडीह जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/ दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(3) एवं धारा 5(1) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रुपये 1000/- (रुपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/ दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं गिरिडीह जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/ दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

*गिरिडीह*  
8/3/18  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह

ज्ञापक 07/NTCP/ गिरिडीह

दिनांक 08.03.2018

- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव स्टा० धि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी राज्य परामर्शी NTCP, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, गिरिडीह /निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, गिरिडीह / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला गिरिडीह /अधीक्षक, सदर अस्पताल गिरिडीह/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह / सभी प्रखंड विकास पदाधिकार, गिरिडीह / जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गिरिडीह / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह/ सभी सी०डी०पी०ओ, गिरिडीह / श्रम अधीक्षक, गिरिडीह /पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यलाय), गिरिडीह/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, गिरिडीह/ असेनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकार, गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।  
प्रतिलिपि : गिरिडीह जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : प्रशासक, गिरिडीह नगर निगम, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*गिरिडीह*  
8/3/18  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह





## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह

### आदेश

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम COTPA-2003 की धारा 6(a) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, (COTPA-2003) की धारा 6(a) के आलोक में सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों पर नीचे दर्शाये गये बोर्ड लगाना अनिवार्य है।

फलैक्स/बोर्ड का प्रारूप निम्न प्रकार से है:-



जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने दुकान पर यह फलैक्स/बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। ओदश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200/-रु0 तक दंड का प्रावधान है।

यह ओदश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

*[Signature]*  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह

ज्ञापांक 08/NTCP/ गिरिडीह

दिनांक 08.03.2018

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी राज्य परामर्शी NTCP, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, गिरिडीह /निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, गिरिडीह / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गिरिडीह /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गिरिडीह /सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह

*[Signature]*  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह





राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह  
डा.पि.के. 08/NTCP दि. 03-08-2018

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह / जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गिरिडीह / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह / सभी सीओडीपीओ, गिरिडीह / श्रम अधीक्षक, गिरिडीह / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यलाय), गिरिडीह / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, गिरिडीह / असेनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनाार्थ एवं अनुपालनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

*म. उ. म. 8/8/18*  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह





## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह

### आदेश

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम COTPA-2003 की धारा 6(b) के अन्तर्गत किसी भी शैक्षिक संस्थान के 100 गज की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने पर शख्त प्रतिबंध है और यह COTPA-2003 की धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं, उल्लंघनकर्ता को रूपये 200/-रु0 तक जुर्माना किया जाएगा।

शैक्षणिक संस्थान का स्वामी या प्रबंधक या मामलों का प्रभारी कोई व्यक्ति परिसर से बाहर किसी सहज दृश्य स्थान पर अपने स्तर से प्रमुख रूप से नीचे दर्शाये गये प्रारूप के अनुसार बोर्ड के माध्यम से 'तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान' को प्रदर्शन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


बोर्ड/दीवार लेखन का प्रारूप :-

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान	
इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/- रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।	
आदेशानुसार	
शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम .....	
शिक्षण संस्थान का नाम .....	

जिला के सभी सरकारी/ गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों / प्रबंधक या मामलों के प्रभारी को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप के अनुसार बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे एवं 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200/-रु0 तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/ गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह





## राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, गिरिडीह

ज्ञापांक 09/N+EP/ गिरिडीह

दिनांक 08.03.2018

- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव स्वा० चि० शि० एवं प० के० विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी राज्य परामर्शी NTCP, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह / सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह/सभी सी०डी०पी०ओ, गिरिडीह/श्रम अधीक्षक, गिरिडीह/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यलाय), गिरिडीह /जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण गिरिडीह / असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकार, गिरिडीह एवं पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

*M. B. Singh*  
08/03/18  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष  
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम  
गिरिडीह